

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधि० सं०:- 6073018 ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 12/08/2026
ग्रा०वि०-3/स्था०-01-30/2024

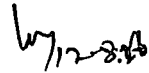
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित UPPCS-2024 प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर राज्य कर विभाग के अधीन औपबंधिक रूप से राज्य कर अधिकारी (वाणिज्य कर अधिकारी) के पद पर चयन होने के फलस्वरूप श्री ऋषि यादव (अनुक्रमांक-588702/ मेधा क्रमांक-303), ग्रामीण विकास पदाधिकारी, पचरूखी (सिवान) द्वारा चयनित पद पर योगदान करने हेतु ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद से विरमित करने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः जिला पदाधिकारी, सिवान से प्राप्त आवेदन पर विचार करते हुए श्री ऋषि यादव, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, पचरूखी (सिवान) को राज्य कर अधिकारी (वाणिज्य कर अधिकारी) को औपबंधिक रूप से राज्य कर अधिकारी (वाणिज्य कर अधिकारी) के पद पर योगदान देने हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ विरमित किया जाय :-

- (i) ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में बितायी गयी कर्तव्य अवधि का वेतनादि का भुगतान देय होगा।
- (ii) बिहार सेवा संहिता के नियम-157 के तहत श्री ऋषि यादव द्वारा घोषणा पत्र समर्पित किया जायेगा कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है।
- (iii) वर्तमान धारित पद ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर 02 (दो) वर्ष का गहणाधिकार (LEIN) अनुमान्य होगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

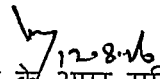

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6073018 दिनांक:- 12/08/2026

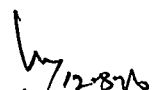
ग्रा०वि०-3/स्था०-01-30/2024

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6073018 दिनांक:- 12/08/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को० E-mail ID- payslipsection@gmail.com) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

जापांक:- 6073018 दिनांक:- 12/08/2016

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सिवान/ उप विकास आयुक्त, सिवान/ जिला कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. जिला पदाधिकारी, सिवान से अनुरोध है कि श्री ऋषि यादव, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, पचरूखी (सिवान) से सेवा संहिता के नियम 157 के तहत इनके विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है, से संबंधित घोषणा पत्र प्राप्त कर अविलंब इन्हें चयनित पद पर योगदान देने हेतु विरमित करने की कृपा की जाय ।

12.8.16
सरकार के अपर सचिव

जापांक:- 6073018 दिनांक:- 12/08/2016

प्रतिलिपि:- श्री ऋषि यादव, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, पचरूखी (सिवान) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. निदेशित किया जाता है कि बिहार सेवा संहिता के नियम 157 के तहत जिला पदाधिकारी, सिवान को घोषणा पत्र समर्पित करेंगे कि आपके विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है।

12.8.16
सरकार के अपर सचिव

जापांक:- 6073018 दिनांक:- 12/08/2016

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-14/ आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

12.8.16
सरकार के अपर सचिव